

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005
(सूचना का अधिकार शाखा)

फा. सं. V(Tech)RTI/69/2019/507

दिनांक: 05.08.2019

सेवा में,

उप/सहा. आयुक्त,
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-ई(E),
जयपुर।

विषय: श्री महेन्द्र कुमार चेजारा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना के क्रम में।

महोदय,

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए श्री महेन्द्र कुमार चेजारा, पानी की टंकी के पास, वार्ड नं. 18, पो. मुकुन्दगढ़, जिला झुंझुनू-333705 से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 26.07.2019(कार्यालय में प्राप्त 30.07.2019) का अवलोकन करें।

The above mentioned RTI application is being transferred under 6(3) of RTI Act, 2005 as the information sought by the applicant in aforesaid RTI application, appears to be related to your office. It is requested to provide the required information **directly to the Applicant** under the provisions of RTI Act, & Rules made there under.

भवदीय,


संलग्न-यथोपरी

— ह० —

सहायक आयुक्त/के.लो.सू. अधिकारी,
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. The Web Master/Additional Commissioner, CGST Commissionerate, Jaipur for uploading on the Zonal Website.
2. श्री महेन्द्र कुमार चेजारा, पानी की टंकी के पास, वार्ड नं. 18, पो. मुकुन्दगढ़, जिला झुंझुनू-333705.


सहायक आयुक्त/के.लो.सू. अधिकारी,
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।
सहायक आयुक्त